अंचल कार्यालय,महागामा

केश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 94/16.17

अपर समाहर्त्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयबद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री राजेन्द्र कु० दास्वी वो अंचल निरीक्षक श्री रामेश्वर दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा मुकुआ .... थाना नं0 692 गैरमजरूआ खाता नं0 24/20 दाग नं0 38 रकवा 01-15-04 किस्म पाली करीब श्री जगरनाथ रविदास पिता शिवन रविदास ... साकिन........ के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री जगरनाथ रविदास को दिनांक 30/7/16 समय 11:00 AM पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

[signature] 21/7/16

अंचल अधिकारी,
महागामा।

30/7/16 अभिलेख उपस्थापित।

जगरनाथ रविदास पि० शिवन रविदास के पोता श्री राजकुमार रविदास उपस्थित। इन्होंने साक्ष्य के रूप में जमींदार का हुकुमनामा, Rent fixation Case की छायाप्रति इत्यादि प्रस्तुत किया है। इनके द्वारा बताया गया कि जमीन BCL राजमहल परियोजना द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। अभिलेख दिनांक 11.8.16 को रखें।

[signature] 30/7/16

राजकुमार रविदास

andha

Scanned with CamScanner

11/8/16	अभिलेख उपस्थापित। सोनिया देवी W/o स्व. प्रभु रविदास, जगरनाथ रविदास की पुतोहू आवेदन। पूर्व में इनके अन्य हिस्सेदार द्वारा कागजात दाखिल किया गया है। इनके द्वारा बंटवारा संबंधी कागजात रखा गया। अभिलेख दिनांक 27.8.16 को रखें। (हस्ताक्षर) 11/8/16
31/7/2020	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस निर्गत करें। (हस्ताक्षर) 31/7/2020 अं० अ० महागामा
05/01/2024	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व कर्मचारी - प्रभारी अंचल निरीक्षक, महागामा से प्रसंगत भूमि का भौतिक प्रतिवेदन के साथ राजस्व अभिलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया। प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि पंजी-II रैयत को भूमि सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त है। वर्तमान में उक्त ECL क्षेत्र के अधिग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत है। अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित (हस्ताक्षर) अं० अ० महागामा (हस्ताक्षर) अंचल अधिकारी महागामा

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी,
महागामा।

विषय :— अवैध संदेहास्पद वाद संख्या ...94.../2016—17 जगरनाथ रविदास पिता—. शिवन रविदास, का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना हैं कि अवैध संदेहास्पद वाद संख्या ......94.../2016—17 जगरनाथ रविदास पिता—.शिवन रविदास......, का जांच प्रतिवेदन का जांच किया जांचोपरांत पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा—बसुआ, थाना नं0—692 के गैरमजरूआ खाता सं0—24/........ के अंदर दाग नं0—32 का अंश रकवा .....01—15—04 धूर किस्म— परती—कदीम अंचल अधिकारी, महागामा/अनुमंडल पदाधिकरी, गोड्डा के सेटलिफिकेशन केश नं0—58/1962—63......... के माध्यम से जगरनाथ रविदास पिता—शिवन रविदास को प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत भूमि ई0सी0एल0 के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये अभिलेख की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

Digitally signed by RANJAN YADAV
Date: 2021.09.22 00:51:26 -07:00
Location: 192.168.8.108

F:PK/496

Scanned with CamScan